उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग– 9
संख्याः 413 /XXVII(9)/ स्टाम्प–54 / 2008
देहरादूनः दिनाँक : 08 जुलाई , 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा में भर्ती और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011

भाग – एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा में समूह "क" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है,

(ड़) "सेवा" से उत्तराखण्ड स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (समूह "क") सेवा अभिप्रेत है;

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "महानिरीक्षक निबंधन" से महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

क्रमशः

(ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभि है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की ग हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपाल अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी है;

(झ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वा बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जित राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा त सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जित परिशिष्ट "क" में दी गयी है;

परन्तु यह कि राज्यपाल :–

(क) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आरथगित रख सक हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(ख) समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सक हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग – तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) सहायक महानिरीक्षक, निबंधन (रू0 15,600–39,100, ग्रेड वेतन 6,600)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–निबन्धकों से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस त उप–निबन्धक के पद पर श्रेणी–एक में (वर्ष और यदि श्रेणी–एक उपलब्ध न हो त श्रेणी–दो में 10 वर्ष की नियमित सेवा पू कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीक करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चय समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

	(ख) उप महानिरीक्षक, निबंधन (रू0 15,600–39,100 ग्रेड वेतन 7,600)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक महानिरीक्षक निबंधन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से विभागीय चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;
	(ग) अपर–महानिरीक्षक, निबंधन (रू0 37,400–67,000, ग्रेड वेतन 87,00)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप–महानिरीक्षक निबंधन मे से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

अपर महानिरीक्षक, निबन्धन, उप–महा–निरीक्षक निबंधन तथा सहायक महानिरीक्षक निबंधन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

7. (1) अपर महानिरीक्षक, निबन्धन, उप–महानिरीक्षक, निबन्धन तथा सहायक महानिरीक्षक निबंन्धन के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदो के लिये) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिए गए मानदण्ड के आधार पर की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से संबंधित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो अपर महानिरीक्षक निबन्धन के मामलें में सरकार के सचिव के स्तर का कोई अधिकारी और अन्य पदों पर पदोन्नति के मामलें में ऐसी जातियों/जनजातियो और वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से संबंधित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के

रूप में भाग लेना निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया नियमावली, 2009 के उपबन्ध लागू होंगे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–कम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(6) अपर महानिरीक्षक, निबन्धन के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(क) मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक	–	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त	–	सदस्य।

(7) उप महानिरीक्षक, निबन्धन तथा सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन के पद पर चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	–	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो	–	सदस्य
(ग) महानिरीक्षक, निबन्धन	–	सदस्य।

ज्येष्ठता

11. (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनाँक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनाँक माना जायेगा।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक-पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20. के अनुसार तैयार की गई, संयुक्त सूची के नामों को चकीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जाएगी कि विहित प्रतिशत बना रहे;

परन्तु यह कि –

(क) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है, वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(ख) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहाँ इस प्रका नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उ वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जा वाली सूची) चकीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर र जायेगा;

(ग) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वा रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अ स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ

क्रमशः

जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग – छः

वेतन आदि

वेतनमान

12. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

13. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और संतोषजनक सेवा का कार्यालय ज्ञाप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है,

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हों परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–8

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

14. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा।

किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

15. विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

16. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेशों द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और सम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

17. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः 413 (1)/XXVII(9)/ स्टाम्प–54/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. न्याय/विधायी अनुभाग/कार्मिक अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. उपनिदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड(ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 में उपलब्ध करा दें।
4. प्रभारी एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर,देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

परिशिष्ट "क"

{नियम 4 का उपनियम (2) देखें}

क0 सं0	पद	कुल स्वीकृत पद	स्थायी	अस्थायी
1.	सहायक महानिरीक्षक, निबंधन	5	4	1
2.	उप–महानिरीक्षक, निबंधन	1	1	–
3.	अपर महानिरीक्षक, निबंधन	1	–	1

अनुपाम

परिशिष्ट "ख"

{नियम 12 का उपनियम (2) देखें}

वेतनमान

कम संख्या	पद	वेतन बैंड (रूपये में)	ग्रेड वेतन (रूपये में)
1.	सहायक महानिरीक्षक, निबंधन	15,600 – 39,100	6,600
2.	उप– महानिरीक्षक, निबंधन	15,600 – 39,100	7,600
3.	अपर महानिरीक्षक, निबंधन	37,400 – 67,000	8,700